

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती जाली बनाम ब्रिटेन्डविट् (कॉम्प)

कसम मुकदमा 111-12-8 नं० 57 सन 2023

क्र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नन्दर व तारीख अहकाम जा इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जाये । पत्रावली दिनांक 25.5.23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p> <p>5/23 पत्रावली गलंगार राठन केम्प एंप प्रशासन गाँवो के संगे अभियान 2023 ग्राम पंचायत सुरास में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन ब्याद-बगिल लेकर प्राप्त हुए जिसे ब्यामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थनापत्र का कार्यवाही स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर ब्यामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फसल शुमार लेकर नन्दर से कम हो।</p> <p>हुकमीचन्द सहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल ग्रामसंग गाँवो के संग अभियान 2023</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठाधीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 57/23 प्रापत्र

1- श्रीमती डा. ली. पी. श्री लन्हा तेली निवासी-शुरास तहसील-माण्डल [कारा]

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री जितेंद्र सिंह सो. श्री लखव्वाद्य सिंह राजपूत निवासी-शुरास तहसील-माण्डल [कारा]
(मुकदमा संख्या प्रापत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 25.5.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शुरास पटवार हल्का शुरास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 782, 783, 784, 785 कुल किता 04 रकबा 1.2141 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.05.23 को पजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम शुरास पटवार शुरास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 782, 783, 784, 785 कुल किता 04 रकबा 1.2141 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेणा को 600/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पत्रकारान् की मौजूदगी में नौके व कब्जे की यथार्थिथि को बनाये रखते हुए मुस्तकील दिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023